धारा-112. निबन्धन की शर्तों से समितियों को छूट देने का अधिकार- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित करें, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है।